


संस्कृत  
शुद्ध जनपद  
अध्याय

दिनांक 01, नवम्बर 2014 से प्रभावी


(जनपद अल्मोड़ा में परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन सूची(सर्किल रेट) वर्ष 2014-15

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 289/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28-10-2014 अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु दिनांक 1-11-2014 से नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद अल्मोड़ा में अवस्थित सम्पत्ति की मूल्यांकन सूची दिनांक 1-11-2014 से जारी की जा रही है। विगत वर्षों में किये जाने वाले मूल्यांकन पद्धति से भिन्न इस वर्ष सर्किल दरों को अधिक प्रासंगिक, तर्कसंगत तथा बाजार मूल्य के समतुल्य बनाये जाने के कम में जनपद में नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु समान सामान्य दर (Basic Rate) के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर तथा अकृषिक भूमि, एकल भवनों के निर्माण, बहुमंजिली भवनों में आवासीय फ्लैटों एवं दुकानों अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर ((Basic Rate) ) प्रति वर्ग मीटर, सम्पत्ति की स्थिति, आसपास की वाणिज्यिक गतिविधियों के दृष्टिगत नियत की गई है। अल्मोड़ा जनपद के अधिकांश भूमि नगरीय केन्द्र, पर्वतीय क्षेत्रों में होने के कारण इसके वैशिष्ट्य को भी मूल्यांकन प्रक्रिया में ध्यान में रखा गया है। जनपद में आतिथि तक विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र अवस्थित नहीं हैं।

नये मूल्यांकन सूची में नगर पालिका क्षेत्र अल्मोड़ा, छावनी परिषद क्षेत्र रानीखेत एवं नगर पंचायत द्वाराहाट को नगरीय क्षेत्र के रूप में दर्शाते हुए गार्डवार मूल्यांकन सूची तैयार की गई है, जिसमें विगत वर्षों की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जनपद के ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में भूमि का कय-विकय अधिक दृष्टिगत हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों/स्थलों की प्रकृति, आसपास की गतिविधियों एवं व्यावसायिक सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन क्षेत्रों/स्थलों अर्द्धनगरीय स्थलों के रूप में चिन्हित कर आधार मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार मूल्य में मात्र 05 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस वर्ष प्रश्नगत शासनादेश में मोटर मार्ग से दूरी को आधार मानते हुए आधार मूल्य में अतिरिक्त वृद्धि के निर्देश प्राप्त हैं जो मूल्यांकन सूची के प्रत्येक पृष्ठभाग में टिप्पणी के रूप में टंकित कर दिये गये हैं। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा शासन के अग्रोत्तर आदेशों के कम में नवीन मूल्य वृद्धि सूची तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। शासनादेश संख्या 289/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28-10-2014 में वर्णित अनिवार्यता की कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु शासन के निर्देशों के कम में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

  
( प्रकाश चन्द्र )  
1. 11. 2014

अपर जिला अधिकारी /  
जिला निबन्धक  
अल्मोड़ा।

  
01.11.14  
(विनोद कुमार सुमरी)  
जिलाधिकारी  
अल्मोड़ा।

**नगर पालिका परिषद अल्मोडा (नगरीय क्षेत्र) तहसील अल्मोडा**

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)	अकृषि भूमि / संपत्ति (वर्ग मी०)	बहुभोजनीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
						प्रति वर्ग मी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी समी एकका / कच्चा
1	नन्दादेवी वार्ड	1. लाला बाजार, 2. नन्दादेवी, 3. उप्रेतीखोला, 4. पूर्वी नन्दादेवी, 5. नियाजगंज, 6. तल्लादन्या, 7. धारानौला, 8. न्यू कालोनी धारानौला, 9. पतखोली	—	3640	उच्च श्रेणी— 36000 मध्यम श्रेणी— 33600 निम्न श्रेणी— 30000 उक्त श्रेणियों के:	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-मार्टे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500
2	सैलाखोला वार्ड	1. गंगोला मुहल्ला 2. बासगली 3. सैलाखोला 4. मल्ला जोशीखोला 5. पू० चौबानपाटा 6. पू० पल्टन बाजार 7. प० धाना मुहल्ला	—	3640	उच्च श्रेणी— 36000 मध्यम श्रेणी— 33600 निम्न श्रेणी— 30000 उक्त श्रेणियों के:	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-मार्टे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500

निर्माण निरीक्षक

*[Signature]*

अल्मोडा

क्र०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामी की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामी की श्रेणी	कृषि भूमि (घ0ह0)	अकृषि भूमि/सम्पत्ति (घ0ह0मी)	सामान्य दर	वाणिज्यिक मकान(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का/कच्चा
						प्रति वर्ग मी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	रामशिवा वाई	1-खजान्नी मुहल्ला 2-जोहरी मुहल्ला 3-दुबकिया 4-नयालखोला 5-मल्ला दया 6-कारखाना बाजार 7-कचहरी बाजार	-	3640	उच्च श्रेणी- 36000 मध्यम श्रेणी-33600 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोडा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्द्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्ष्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर लकड़ी से बना मकान 7500
4	बदश्वर वाई	1-थपलिया 2-तिलकपुर 3-खोल्डा 4-चम्पानोला 5-कनाटकखोला 6-गुरुशानीखोला 7-मल्ला चौसारा	-	3640	उच्च श्रेणी- 36000 मध्यम श्रेणी-33600 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोडा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्द्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्ष्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर लकड़ी से बना मकान 7500

जिला  
श्रीवाहा

Signature  
निदेशक

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (घ०हे०)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग०मी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
						दुकान / स्टैटोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	एन०टी०डी०	1.हीराडुगरी 2.एन.टी.डी. 3.शैल 4.पातालदेवी 5.धार की तूनी 6.मल्ला रानीभारा 7.परिचमी पोखरखाली पूर्वी भाग	-	3640	उच्च श्रेणी- 36000 मध्यम श्रेणी-33600 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।।	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड,पाथर लकड़ी से बना मकान 7500
6	त्रिपुरा सुन्दरी वार्ड	1.शिशुाड 2.र्यूनरा 3.बांसमीडा 4.विद्याकुडा 5.मिशन कम्पाउन्ड 6.पूर्वी पोखरखाली(सूरज सिंह चौहान के भवन तक) 7. मल्ला कसून 8.तल्ला कसून 9.चौधरीखोला 10.र्यूनराकोट	-	3640	उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।।	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड,पाथर लकड़ी से बना मकान 7500

जिला निबन्धक

समाप्ति

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्रोहेठ)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्गमी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
						टुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	मुरली मनीहर	1.पूर्वी परल्लनबाजार 2.पूर्वी थाना बाजार 3.टम्टा मुहल्ला 4.नर सिंह बाड़ी 5.डोबानौला 6.कुवाडखोला 7.वमनखोला	—	3640	उच्च श्रेणी— 36000 मध्यम श्रेणी—33600 निम्न श्रेणी— 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट—अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पाश्वर्क में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	29250—00	30700—00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे—माटे एवं टिन शैड पाथर लकड़ी से बना मकान 7500
8	बालेश्वर वार्ड	1.पूर्वी पोखरखाली 2.दूगाधारा 3.बुद्धिपुर 4.वीनाखान 5.पूर्वी पोखरखाली 6.मकड़ी 7.बिलपुर	—	3640	उक्त श्रेणियों के: नोट—अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पाश्वर्क में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	29250—00	30700—00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे—माटे एवं टिन शैड पाथर लकड़ी से बना मकान 7500

जिबा निबन्धक

*Signature*

अल्मोड़ा

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (घ०)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्गमी)	वटुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
						वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी समी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	विवेकानन्द पुरी	1. सेना कार्यालय ऐरिया 2. तल्ला जोशीखोला 3. कनौली 4. परिवर्तनी चौधानपाटा	—	3640	उच्च श्रेणी- 36000 मध्यम श्रेणी-33600 निम्न श्रेणी- 30000	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500
10	राजपुरा वार्ड	1. तल्ला ओडखोला 2. मल्ला ओडखोला 3. मल्ला राजपुरा 4. जोशीखोला राजपुरा 5. बाडी रानीवा 6. भारखोला 7. तल्ला ओडखोला	—	3640	उच्च श्रेणी- 36000 मध्यम श्रेणी-33600 निम्न श्रेणी- 30000	29250-00	30700-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500

उक्त श्रेणियों के:  
नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा।  
हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत  
खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।

उक्त श्रेणियों के:  
नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा।  
हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत  
खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।

*Signature*

जिला निबन्धक

अल्मोड़ा

क0		प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी		प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी		कृषि भूमि (प्र0हे0)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग0मी)	वहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	सामान्य दर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11	लक्ष्मेश्वर	1.तल्ली गल्ली 2.जाखनदेवी 3.कपीना 4.कर्नाटकखोला 5.लक्ष्मेश्वर 6.पाण्डेखोला 7.तल्ला सानीधारा 8.परिवामी पोखरखाली 9.मल्ला गल्ली 10.पनियाजडियार 11.तल्ला चौमार	—	3640	उच्च श्रेणी— 36000 मध्यम श्रेणी—33600 निम्न श्रेणी— 30000	29250--00	30700--00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड,पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500			
					उक्त श्रेणियों के: नोट—अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तल्ला के सर्किल रेडों का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।							

*Shur*


जिला निबन्धक  
अल्मोड़ा



## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

4  


जिला निबन्धक,  
 अल्मोड़ा।

छावनी क्षेत्र सानीखेत (नगरीय क्षेत्र) तहसील सानीखेत

क0	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (घ0हे0)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग0मी)	वहुमतिनीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	सामान्य दर			
						वाणिज्यिक भवन(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रानीखेत शाहरी क्षेत्र की फीहोल्ड भूमि	सदर बाजार, जकररी बाजार, माल रोड	-	4225	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पाश्वर्क में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	44850	49335	उच्च श्रेणी 14000 मध्यम श्रेणी 12000 निम्न श्रेणी 10000	गारे-माटे एवं टिन शैड,पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500

जिला निबन्धक  
अल्मोड़ा


*Am. L.*

18

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोजा।

नगर पंचायत हाराहाट(नगरीय क्षेत्र)तहसील हाराहाट

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि(प्र०हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्गमी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			रिसि०	अरिसि०			डुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हाट बार्ड	कालीखोली नौधर हटवालखोली तल्लीहाट कारा गंगापुर बुडियानीला बरसाखोला नौकुडा जबलपुर रमसोखोला खोलीभातर	-	11960000	1690	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	30000	33000	उच्च श्रेणी 8450 मध्यम श्रेणी 7800 निम्न श्रेणी 7150	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5912
2	शीतला पुष्कर वार्ड	मठपालखोला पटौडी तल्ला बाजार पुरानी बाजार चन्धारिया	-	11960000	1690	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	30000	33000	उच्च श्रेणी 8450 मध्यम श्रेणी 7800 निम्न श्रेणी 7150	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5912

*Signature*

जिला निबन्धक

हाराहाट

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	वृद्धि/जलय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/रुपर रेरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (रुपर रेरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	द्वाराहाट बाजार वार्ड	शीतलापुष्कर मार्ग बाजार मोटर खान के दाये तरफ. हिमनौला से खनस्वार तक मल्लो बाजार, पूर्वी बाजार	-	11960000	1690	उच्च श्रेणी- 35000, मध्यम श्रेणी-33000, निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	30000	33000	उच्च श्रेणी 8450 मध्यम श्रेणी 7800 निम्न श्रेणी 7150	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5912
4	विद्यापुर कनार वार्ड	ताई चाचरी विद्यापुर, रा10इ0का10 तक कनार घटगाड से पूजाखेत तक	-	11960000	1690	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	30000	33000	उच्च श्रेणी 8450 मध्यम श्रेणी 7800 निम्न श्रेणी 7150	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5912


जिला निवन्धक  
शु

जिला निवन्धक

टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यातदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यातदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

## अर्द्धनगरीय क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा

क0	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि(प्र0हे0)		अकृषि भूमि / साम्यति (वर्ग0मी)	वडुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन(सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी0)		द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि0	असि0			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी(पक्का)	द्वितीय श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	तहसील अल्मोड़ा	1.शैल 2.पपरसैली 3.सुनारखोला 4.स्यालीधार 5.विश्वनाथ बाजार 6.कसारदेवी 8.बिनसर 9.कालीमाटी 10.कालीमाट 11.स्नोयू 12.तेवाडीखान 13.खालीस्टेट 14.बिनसर चक नं0 1 15.बिनसर चक नं0-2 16.जौलजीवी 17.बिनसर मध्ये कमल निवास 18.सरकारी दुकान 19.बटन स्टेट	—	—	2744	उच्च श्रेणी-- 33000 मध्यम श्रेणी--30800 निम्न श्रेणी-- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्द्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	27300-00	30030-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड,पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7500	
2	तहसील अल्मोड़ा	1.कनाटक खोला, 2.दुगाधारा, 3.पाण्डेखोला, 4.कपीना 5.चौसार, 6.खत्याडी, 7.ना0तो0देवाल, 8-सरकार की आली 9.खगमराकोट (नगर पालिका क्षेत्र से बाहर)	—	—	2548	उच्च श्रेणी-- 33000 मध्यम श्रेणी--30800 निम्न श्रेणी-- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्द्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	27300-00	30030-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड,पाथर एवं लकड़ी से बना मकान -7500	

सामान्य दर

जिला निबन्धक

अल्मोड़ा

सामान्य दर

प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र0 हे0)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग0मी)	वहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी0)		
		सि0	असि0			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	तहसील अल्मोड़ा	1. देवलीखान 2. स्याहीदेवी बगीचा 3. गूट 4. शीतलाखेत 5. सल्ला शैतला 6. धामस 7. कटारमल 8. बिभौला	-	-	1029	उच्च श्रेणी- 33000 मध्यम श्रेणी- 30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट- अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण गू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	20475-00	22523-00	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान -6563
	तहसील मनोली	1- जागेश्वर	-	-	777	उच्च श्रेणी- 33000, मध्यम श्रेणी- 30800, निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट- अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण गू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	16500	18150	उच्च श्रेणी 11700 मध्यम श्रेणी 11000 निम्न श्रेणी 10400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 6000


निला निबन्धक

अल्मोड़ा



क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्रोहेड)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी.)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	आसि०			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	जैती तहसील मुख्यालय	1. सुनाडी 2. नाटाडोल 3. शहरफाटक 4. गाजार 5. पुभाऊं 6. डोल	-	-	781	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टे का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15600	17160	उच्च श्रेणी 11700 मध्यम श्रेणी 9100 निम्न श्रेणी 7800	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4800
6	सोमेश्वर	1. सोमेश्वर बाजार क्षेत्र 2. हटयूडा 3. पल्लूडा 4. जालथोलाड 5. अधुरिया 6. रतूराठ 7. बैगनिया 8. मल्ली खोली 9. छानी ल्वसाल 10. भानाराठ 11. टाना सजोली	-	-	632	उच्च श्रेणी- 33000 मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टे का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	12600	13860	उच्च श्रेणी 6500 मध्यम श्रेणी 6240 निम्न श्रेणी 5850	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 3250

जिला निबंधक



श्रीमती

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र0 हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	वस्तुनितीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/गुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (गुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	तहसील रानीखेत	1-मजखाली 2-चिलियानौला क्षेत्र	-	7875000	3694	उच्च श्रेणी- 33000 मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	24000	26400	उच्च श्रेणी 13000 मध्यम श्रेणी 11700 निम्न श्रेणी 10400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 7512
8	चौखुटिया	1.चौदीखेत 2.गनाई	-	9131720	1365	उच्च श्रेणी- 33000 मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15000	16500	उच्च श्रेणी 8450 मध्यम श्रेणी 7800 निम्न श्रेणी 7150	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5912

*Amc*

जिला निरीक्षक  
बलिया

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़ल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्रोहे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग०मी)	सामान्य दर	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	असि०			प्रति वर्ग मी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	द्वाराहाट	1. धरमगाँव 2. म० मिरई	-	5131875	868	उच्च श्रेणी- 35000, मध्यम श्रेणी-33000, निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	16300	17930	उच्च श्रेणी 7800 मध्यम श्रेणी 7200 निम्न श्रेणी 6600	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5912
10	तहसील भिकियासेण	1. भिकियासेण बाजार, 2. पनखोला 3. सेणसिरा	-	-	1625	उच्च श्रेणी- 33000, मध्यम श्रेणी-30800, निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	11700	12870	उच्च श्रेणी 7800 मध्यम श्रेणी 7540 निम्न श्रेणी 7020	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5280

अशा निबन्धक  
अल्मोड़ा

सामान्य दर

क्र.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग०मी)	वहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	असि०			दुकान / शैस्टरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	मौलेखाल सल्ट	1-मौलेखाल सल्ट बाजार क्षेत्र 2-मरचूला	- 1345 500	- 893750	1125 1125	उच्च श्रेणी- 33000, मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोज़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पाश्वर्कों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	13250	14500	उच्च श्रेणी 6500 मध्यम श्रेणी 6240 निम्न श्रेणी 6000	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5280

*Shiv*

जिला निरीक्षक  
अल्मोज़ा

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के क्रम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।



जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

## ग्रामीण क्षेत्र तहसील अल्मोड़ा

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग०मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय या भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर पैरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर पैरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	असि०			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	क	1. गोलना करडिया, 2. भाल 3. गर 4. भनार 5. रैलात्याडी 6. सरसा, 7. सिमकुकडी, 8. बख, 9. माट, 10. मटेला, 11. तलाड 12. बाडी 13. अथरबाडी 14. मटेना 15. छलार मुसोली 16. डाट बंगला 17. रैखोली 18. घनेली 19. रैलापाली 20. बल्लाबाडी 21. सुनारखोला 22. बख 23. भनार गूठ 24. भुलूडा 25. सिन्दूरी अथोली 26. सुनार 27. नैनीकुमस्यल	—	—	1820	उच्च श्रेणी— 33000 मध्यम श्रेणी— 30800 निम्न श्रेणी— 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट— अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	20475	22523	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शौड, पाथर एवं लकडी से बना मकान 6563
2	ख	1- जलना, 2. मल्ली तोली 3. तुलेडी 4. तल्ला चनोली 5. सिलखोला 6. दौरा	—	—	1764	उच्च श्रेणी— 33000 मध्यम श्रेणी— 30800 निम्न श्रेणी— 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट— अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	20475	22523	उच्च श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन शौड, पाथर एवं लकडी से बना मकान 6563

जि.रा. वि.स.क.  
Signature

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (घ0 हे0)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी0)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी0)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि0	असि0			ऐरिया प्रति वर्ग मी0	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ग	1. पपोली 2. कोट्यूडा 3. क्वैराला 4. क्वैराली 5. गढवाली 6. कोट्टली 7. गाथोली 8. मैचोड 9. धनेली 10. नैपी 11. छलार मुसोली 12. लोदपहाड 13. ज्योली 14. सौनडाल 15. चाण 16. गैज्योल 17. डांडाकांडा 18. सोले 19. तल्ला चौनली 20. नैकणा	--	--	882	उच्च श्रेणी- 33000 मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	20475	22523	उच्च श्रेणी श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन श्रैड, पाथर एवं लकडी से बना मकान 6563
4	घ	1. पौथार 2. चौतरा 3. गुना 4. गोलीमहर 5. कपकोट 6. पाण्डेतोली 7. शील 8. पेटशाल 9. तोली 10. चक कलोन 11. रोट, 12. तहसील अल्मोजा के अन्य समस्त गाँव उपरोक्त सूची में अन्यत्र अंकित गाँवों को छोड़कर)	735000	661500	609	उच्च श्रेणी- 33000 मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	20475	22523	उच्च श्रेणी श्रेणी 16800 मध्यम श्रेणी 14400 निम्न श्रेणी 12000	गारे-माटे एवं टिन श्रैड, पाथर एवं लकडी से बना मकान 6563


जिला निबंधक

अल्मोजा

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि/सम्पत्ति /आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियारैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि/सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि ।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि/सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि ।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि/सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि ।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि/सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि ।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।



## ग्रामीण क्षेत्र तहसील भनोली

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	क	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	क	1-कैथराली 2-पनुवानौला 3-फुलई जगेश्वर 4-दन्धा 5-गौली 6-मुनोली 7-आटी 8-डसीली 9-ध्याडी 10-भनोली 11-गौराड 12-काफली 13-तथोली 14-आरतोला व अन्य कस्बे।	-	-	628	उच्च श्रेणी- 33000, मध्यम श्रेणी-30800 निम्न श्रेणी- 27500	16380	18020	उच्च श्रेणी 9450 मध्यम श्रेणी 8925 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5250
2	ख	1-पट्टी मल्ला लखनपुर के समस्त ग्राम उपराकत सूची में अन्यत्र अंकित गांव को छोड़कर	675675	528255	580	उच्च श्रेणी- 33000, मध्यम श्रेणी-30800, निम्न श्रेणी- 27500 उक्त श्रेणियों के:	16380	18020	उच्च श्रेणी 9450 मध्यम श्रेणी 8925 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5250

जिला निरीक्षक

भनोली

## सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	वडुभोजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	ग	1-पट्टी दाऊण एवं रंगोड के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांव को छोड़कर	915915	526712	580		16380	18020	उच्च श्रेणी 9450 मध्यम श्रेणी 8925 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5250
3	ग	1-पट्टी दाऊण एवं रंगोड के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांव को छोड़कर	915915	526712	580		16380	18020	उच्च श्रेणी 9450 मध्यम श्रेणी 8925 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5250

उक्त श्रेणियों के:  
नोट-अल्मोडा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा।  
हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत  
खड्ड साईड के भवनों के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।


*M. C.*

जिला निबंधक  
अल्मोडा

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
 जिला निबन्धक,  
 अल्मोड़ा।

**ग्रामीण क्षेत्र तहसील जैती जनपद अल्मोडा**

सामान्य दर

क0	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र0हे0)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग0मी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)		प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा
			सि0	असि0			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	क	1-पट्टी तल्ला मल्ला सालम 2-पटवालाडूगरा 3-सांगड 4-मोरनौला 5-कनरा 6-चौखुटिया 7.बिरसौद 8.मोतीयापाथर 9.धरखोला 10.सुनाडी 11.कोटीली 12.नौगांव 13.कोटली 14.नया संग्रोली 15.गणाल 16.बकस्वाण	737100	573300	781	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 <u>उक्त श्रेणियों के:</u> नोट-अल्मोडा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेज का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15750	17325	उच्च श्रेणी 9450 मध्यम श्रेणी 8925 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड, प्राथर एवं लकड़ी से बना मकान 4200


जिला निरीक्षक  
अल्मोडा

*Amir*

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्याल्द तहसीह के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्द में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्याल्द तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

## ग्रामीण क्षेत्र तहसील सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	क	1-पट्टी तल्ला मल्ला खूनारा के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांव को छोड़कर	644962	505315	510	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनों के मूल्यांकन हेतु सड़क से तने हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	13230	14553	उच्च श्रेणी 5250 मध्यम श्रेणी 5040 निम्न श्रेणी 4725	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 2625
2	ख	1-पट्टी तल्ला बौराशै, पट्टी पल्ला बौराशै के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांव को छोड़कर	1266891	972972	510	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनों के मूल्यांकन हेतु सड़क से तने हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	13230	14553	उच्च श्रेणी 5250 मध्यम श्रेणी 5040 निम्न श्रेणी 4725	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 2625


दिनांक 15/11/2025

अ. सोमेश्वर

टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के क्रम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

ग्रामीण क्षेत्र तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्रॉडो)		अकृषि भूमि / सभ्यता (वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फर्निचर (सुपर प्रेरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर प्रेरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक भवन (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / स्टैट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	क	1-द्वारसो 2.डीडा 3.बबुरखोला 4.दिगोटी 5.झालोडी 6.रियूनी 7.डडगलिया 8.तौडा 9.ताडीखेत 10.सोनी	-	9213750	1703	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15750	17325	उच्च श्रेणी 10500 मध्यम श्रेणी 9450 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से मकान बना 6573
1	ख	1.तुर्यारी 2.मछलिया 3.ऐराडी 4.पिलखोली 5.सोनी चक धूरा 6.पाली 7.मल्ला विशवा 8.गनियादयोली 9.जैनोली 10.उपराडी 11.तकुल्डी 12..मल्ला जामर 13.पपरे कोठार 14.पौडा कोठार 15.सैखोला 16.बलना 17.चौकुनी 18.मौना 19.कर्तौना 20.कारचूली 21.बनोलिया 22.पाखुडा 23.सूरी 24.कुलनाखेत 25.काटपीपली	-	7717500	1480	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15750	17325	उच्च श्रेणी 10500 मध्यम श्रेणी 9450 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से मकान बना 6573

बिना निष्कर्ष अल्मोड़ा



क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग० मी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा	
			सि०	असि०			वाणिज्यिक प्रति वर्ग मी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	ग	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ग	1. पीपली 2. खनिया 3. किलकोट 4. लोकर 5. ऐरोली 6. पन्तकोटुली 7. दुगौडा 8. लवासी	-	4714500	726	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोडा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15750	17325	उच्च 10500 मध्यम 9450 निम्न 8400	श्रेणी श्रेणी श्रेणी	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 6573
3	घ	1. देवलीखेत 2. नौगांव 3. काकडीघाट	-	4714500	572	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोडा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15750	17325	उच्च 10500 मध्यम 9450 निम्न 8400	श्रेणी श्रेणी श्रेणी	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 6573

जिला निष्पक्षक

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			टुकान / स्ट्रेस्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दु	1-वल्ला अठागुली 2-पल्ला अठागुली 3-म० डोटी 4-द्वारसों 5-कालीगाड 6-चौगाँव 7-कान्धारखुवा 8-तल्ला / मल्ला सिलोर के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांवों को छोड़कर	1471641	981144	295	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000  उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	15750	17325	उच्च श्रेणी 10500 मध्यम श्रेणी 9450 निम्न श्रेणी 8400	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 6573


जि.सि. नि.सू.अ.क.  
अल्मोड़ा

2

## टिप्पणी:—

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:—

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासंघ तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0—25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26—50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

**ग्रामीण क्षेत्र तहसील सल्ट जनपद अल्मोजा**

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी)	बहुभोजनीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट/सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवनों/सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	असि०			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	क	1. जालीखान 2. सांकर 3. बलूली 4. भकसकोट 5. झडगाँव 6. कुलोली 8. शशिखाल	4	5	788	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी- 33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के:	10080	11088	उच्च श्रेणी 5250 मध्यम श्रेणी 5040 निम्न श्रेणी 4830	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620
2	ख	1-बन्नाणविष्ट 2-बन्नाण 3-बसनाल 4-जिहाड 5-बणासी 6-उभरासौराल 7-खाल्युव्यासी 8-चरीक्यासी एवं तहसील सल्ट में स्थित सल्ट पट्टी तल्ला / मल्ला चौकोट विचला / तल्ला / भरला नया के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांव को छोड़कर	1228500	853125	315	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी- 33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के:	10080	11088	उच्च श्रेणी 5250 मध्यम श्रेणी 5040 निम्न श्रेणी 4830	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620

नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा।

हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत


खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।

उच्च श्रेणी- 35000  
मध्यम श्रेणी- 33000  
निम्न श्रेणी- 30000  
उक्त श्रेणियों के:

नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा।

हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत


खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।

  
**जिला निबन्धक**

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के क्रम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

## ग्रामीण क्षेत्र तहसील भिकियारसैण जनपद अल्मोजा

सागान्य दर

क्र०	प्रमुख मर्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मर्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग०मी )	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी / सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	असि०						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	क	1-मांसी	8716641	889218	1102	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000	11970	12570	उच्च श्रेणी 6300 मध्यम श्रेणी 6090 निम्न श्रेणी 5670	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620
2	ख	1-भतराजखान 2-टानी 3-सिनौडा 4-चौनलिया 5-दनपी 6-तरगा 7-रिगड़िया 8-हउली 9-कोट अखाल 10-फल्सो 11-धारड	1181250	820313	825	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के	11970	12570	उच्च श्रेणी 6300 मध्यम श्रेणी 6090 निम्न श्रेणी 5670	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620

नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा।

हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत

खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।

जिला निबन्धक  
अल्मोजा

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	आसि०			डुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	ग	1-भाकुड़ा 2-उदेपुर 3-गरसोली 4-बसानल गांव 5-रिमली 6-तामाढीन 7-चम्पारार 8-वलभरा 9-पालपुर 0-जैनल 11-नौला 12-केदार	1181250	820313	341	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनों के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	11970	12570	उच्च श्रेणी 6300 मध्यम श्रेणी 6090 निम्न श्रेणी 5670	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620
3	घ	1-पर्टी वल्ला पल्ला नया 2-तल्ला मल्ला ककलासो -त०म०वि० दौरा 4-त०म०वि० गेवाड़ 5-त०म०वि०व०प० जो पट्टियां तहसील भिकियासैण क्षेत्रान्तर्गत है के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांवों को छोड़कर	1181250	820313	290	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनों के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	11970	12570	उच्च श्रेणी 6300 मध्यम श्रेणी 6090 निम्न श्रेणी 5670	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620
4	घ	1-पर्टी वल्ला पल्ला नया 2-तल्ला मल्ला ककलासो -त०म०वि० दौरा 4-त०म०वि० गेवाड़ 5-त०म०वि०व०प० जो पट्टियां तहसील भिकियासैण क्षेत्रान्तर्गत है के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांवों को छोड़कर	1181250	820313	290	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के: नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनों के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	11970	12570	उच्च श्रेणी 6300 मध्यम श्रेणी 6090 निम्न श्रेणी 5670	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620

जिला निबन्धक  
अल्मोड़ा

## टिप्पणी:-

उपर्युक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के कम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

*M. V.*  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।



**ग्रामीण क्षेत्र तहसील द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा**

सामान्य दर

क0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र0 हे0)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग0 भी )	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)		प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि0	असि0			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	क	1-घघलोड़ी 2-डडौली 3-विजेपुर 4-तिपौला 5-छानगोलू 6-रावलसेरा 7-बगवालीपोखर 8-मनेला 9-गगास 10-कफड़ा 11-उभ्याड़ी 12-नौगांव 13-विन्ता 14-बाड़ी 15-धमोली 16-दौला 17-पाली ईड़ा 18-जालली 19-भटकोटी 20-सुरईखेत 21-सिमलगांव	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ख	1-रवाड़ी 2-खुनापन्त 3-दुधौली 4-टोडरा 5-खोलियाबाज 6-चरी 7-नायल 8-सुरना	2625 000	1968750	532	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल स्टेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	14175	14885	उच्च श्रेणी 6825 मध्यम श्रेणी 6300 निम्न श्रेणी 5775	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना भकान 5174

*Handwritten signature*

**जिला निजयक**

## ग्रामीण क्षेत्र तहसील द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा

सामान्य दर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कुल भूमि (प्र० हे०)		अकुल भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि०	असि०			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ग	1-रतखाल 2-बजोल 3-मटेला 4-भतौरा 5-उलेरा 6-अल्मियागांव 7-कुनरसारी 8-कुनाकाण्डे 9-तल्ली मिरई 10-दौरा	2205000	1785000	525	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000	14175	14885	उच्च श्रेणी 6825 मध्यम श्रेणी 6300 निम्न श्रेणी 5775	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174
4	घ	1-पट्टी त०म० सिलोर 2- पट्टी त०म०वि० दौरा 3- पट्टी कैंडारों के समस्त ग्राम उपराक्त सूची में अन्यत्र अंकित गांवों को छोड़कर	1640625	1181250	330	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000	14175	14885	उच्च श्रेणी 6825 मध्यम श्रेणी 6300 निम्न श्रेणी 5775	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174

## उक्त श्रेणियों के:

नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा।

हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत  
खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।

## उक्त श्रेणियों के:

नोट-अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है, नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेटी का निर्धारण पृथक होगा।  
हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत  
खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।


जिला निबन्धक  
अल्मोड़ा

*[Signature]*

टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के क्रम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-

- नव निर्मित स्यालदे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियारसैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालदे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भवन उच्च श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,  
अल्मोड़ा।

ग्रामीण क्षेत्र तहसील चौखुटिया जनपद अल्मोजा


सामान्य दर

क0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र0हे0)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग0म <sup>2</sup> )	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी0)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी0)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा
			सि0	असि0			टुकान / स्टैटोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	क	मांसी	8716641	8892188	1102	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	11970	12570	उच्च श्रेणी 6300 मध्यम श्रेणी 6090 निम्न श्रेणी 5670 गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 4620	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174
2	ख	1.दिगोत 2.बाहरगाँव 3.फुलई 4.धुधलिया विष्ट 5.धुधलिया महर 6.दोलडी 7.चक बरबर, 8.चक गनाई 9.चक क्वारस 10.बैरा 11.नोलनौड	8716641	888	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के नोट-अल्मोजा जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है. नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़क के दोनों पार्श्वों में निर्माण होता है अतः इस हेतु पृथक मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हिलसाईड व खड्ड साईड के निर्माण हेतु तलों के सर्किल रेडो का निर्धारण पृथक होगा। हिल साईड में भूतल 20 प्रतिशत प्रथम तल 15 प्रतिशत द्वितीय तल 10 प्रतिशत, तृतीय तल एवं उससे ऊपर 5 प्रतिशत खड्ड साईड के भवनो के मूल्यांकन हेतु सड़क से लगे हुए तल को आधार तल मानते हुए उक्त तल हेतु 20 प्रतिशत तथा उक्त आधार तल के ऊपर और नीचे के प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु कमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की जाती है।	14175	14885	उच्च श्रेणी 6825 मध्यम श्रेणी 6300 निम्न श्रेणी 5775 गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174	गारे-माटे एवं टिन शैड, पाथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174	

जिला निवन्धक  
Dm. 2

सामान्य दर


क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्र० हे०)		अकृषि भूमि / सम्पत्ति (वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			सि०	असि०			दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी
1	ग	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ग	3	-	3773438	493	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के:	14175	14885	उच्च श्रेणी 6825 मध्यम श्रेणी 6300 निम्न श्रेणी 5775	गारे-माटे एवं टिन शैड, प्राथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174
4	घ	वल्ला/पल्ला एवं तल्ली गेवाड के समस्त गांव उपपरावत सूची में अन्यत्र अंकित गांवों को छोड़कर	16406250	1050000	205	उच्च श्रेणी- 35000 मध्यम श्रेणी-33000 निम्न श्रेणी- 30000 उक्त श्रेणियों के:	14175	14885	उच्च श्रेणी 6825 मध्यम श्रेणी 6300 निम्न श्रेणी 5775	गारे-माटे एवं टिन शैड, प्राथर एवं लकड़ी से बना मकान 5174

  
**अनिल कुमार**  
**जिला निरीक्षक**  
**शरमोडा**

## टिप्पणी:-

उपरोक्त वर्णित भूमि / सम्पत्ति / आवासीय भवन के आधार मूल्य के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 289/2014 दिनांक 28-10-2014 के क्रम में मोटर मार्ग के निम्न विशिष्टियों के अनुसार अतिरिक्त निम्नवत वृद्धि निर्धारित की जाती है:-


- नव निर्मित स्यालादे तहसील के क्षेत्रों को पूर्ववर्ती तहसील भिकियासैण तथा तहसील सल्ट में ही समाहित रखा गया है। तदनुसार स्यालादे तहसील के क्षेत्रों का पंजीकरण पूर्ववर्ती तहसील क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर ही होगा।
- 5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 12 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 15 मीटर से 18 मीटर तक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मोटर मार्ग के किनारे स्थित भूमि / सम्पत्ति में आधार मूल्य के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।
- 0-25 वर्ष तक के भग्नम लब्ध श्रेणी के 26-50 वर्ष तक के भवन मध्यम श्रेणी के एवं 50 वर्ष से अधिक के भवन निम्न श्रेणी के अर्न्तगत माने जायेंगे।

  
जिला निबन्धक,

अल्मोड़ा।

## आवश्यक निर्देश

- 1-यदि कोई ग्राम अथवा मोहल्ला सूची में अंकित होने से रह गया है, तो समीपस्थ ग्राम / मोहल्ले की उच्चतम दरें लागू होंगी।
- 2-भूमि की दर सूची में वर्णित उपरोक्त दर न्यूनतम है, यदि बाजार मूल्य इससे अधिक होता है तो स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य (जो भी अधिक हो) पर देय होगा।
- 3-0.04 है0(400 वर्गमीटर)से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार दरें ही लागू की जायेगी।
- 4-आवास विकास एवं सिडकुल/वित्त निगम तथा विकास प्राधिकरणों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तर्ण परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित बिलेखों के अनतर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम पर नहीं होगा। वृत्तिक जनपद में वर्तमान में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है अतः जनपद के नगरीय / अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित दरें ही औद्योगिक प्रयोजनो हेतु भी प्रभावी होंगी।
- 5-किस्सी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन रावर्नमेन्ट एप्रूव्ड बैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
- 6-बाउण्ड्री वॉल में स्थित होने पर रूपया 1000-00 प्रति एल0बी0एच0(लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई)(मीटर में) की दर से अतिरिक्त मूल्यांकन किया जायेगा।
- 7-मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किस्सी स्थल की दरें दो स्थानों पर निर्धारित हो तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
- 8-अन्तर्णित की जा रही भूमि / सम्पत्ति का नजरी नक्शा में जिसमें कि मार्ग की चौड़ाई एवं अवस्थिति का स्पष्ट उल्लेख कर संलग्न किया जायेगा।
- 9-किस्सी बिलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रमाणितता या उस पर प्रभारी शुल्क की राशि बिलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
- 10-भूमि-कृषि / अकृषिक / व्यावसायिक हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी।


  
1.11.2014

( प्रकाश चन्द्र )

अपर जिला अधिकारी /

जिला निबन्धक

अल्मोड़ा।

  
01.11.14

(विनोद कुमार सुमन)

जिलाधिकारी


अल्मोड़ा।

कार्यालय भिला आधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या: 160 /पांच-05 /2009-10 दिनांक 1 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन (वित्त)स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग, देहरादून ।
- 2- अपर सचिव, निबंधक अनुभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- महानिरीक्षक, निबन्धन देहरादून ।
- 4- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।
- 5- सहायक महानिरीक्षक निबन्धक कैम्प उधमसिंह नगर ।
- 6- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा ।
- 7- जिला निबन्धक अल्मोड़ा ।
- 8- समस्त उप निबन्धक जनपद अल्मोड़ा ।
- 9- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अल्मोड़ा ।
- 10- ज्येष्ठ अहलमद जिलाधिकारी न्यायालय अल्मोड़ा ।

  
01.11.14  
(विनोद कुमार सुमन)  
जिला आधिकारी, अल्मोड़ा ।